

showing the details of exports made and foreign exchange earned by Bhilai Steel Plant during the last three years is attached.

Statement

Details of exports made and Foreign Exchange earned by Bhilai Steel Plant during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70.

(Quantity in +000 tonnes
Value in Rs. million)

Item	1967-68		1968-69		1969-70	
	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
Pig Iron	394.9	113.9	369.7	97.3	292.6	120.7
Billets	66.4	31.8	62.6	27.4	33.4	14.6
Bars and Rods	14.6	7.9	16.2	9.5	24.6	16.3
Structurals	115.2	67.5	252.7	150.6	202.8	129.1
Rails	40.7	25.5	52.9	34.9	92.4	69.0
Total Iron & Steel	631.8	246.6	754.1	319.7	645.8	349.7
Bye-Products.	0.7	0.2	—	—	3.1	1.1
Grand Total :	632.5	246.8	754.1	319.7	648.9	350.8

Rates of Maintenance Grants

4715. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rates of maintenance grants were fixed some 15 years ago and that they have not yet been revised, even though living costs have gone up steeply and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students are facing difficulties; and

(b) if so, the reasons for not revising the maintenance grant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO): (a) and (b). The value of scholarship under the post-matric scholarships scheme includes a monthly maintenance grant and other concessions like payment of all non-refundable compulsory fees, study tour and thesis typing/printing charges upto a prescribed ceiling.

Though all the increases in fees have been met by the Government, it has not so far been possible to increase the monthly maintenance allowance due to financial constraints. It was considered desirable to cover as many students from the limited resources available rather than increase the maintenance allowance which may result in the restriction of the range of coverage under the scholarship scheme.

Rehabilitation of Tribals by Tripura Government

4716. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the serious lapses on the part of Tripura Government officials in regard to rehabilitation of Tribals, if so, the precise nature of the lapses and the extent of wasteful expenditure involved therein; and

(b) the amount of Central aid given for implementation of the schemes for rehabilita-

tion of Tribals and the steps taken to ensure its proper utilisation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO): (a) and (b). The information is being collected from the Government of Tripura and will be laid on the Table of the House as soon as available.

केरल में मध्यावधि चुनाव में पररूपधारण के मामले

4717. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 में केरल में हुये मध्यावधि चुनाव में पररूपधारण के अभियोग में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : इस संबंध में जानकारी मुख्य निर्वाचन आफिसर, केरल से मंगाई जा रही है ।

फ़ीरोजपुर मंडल (उत्तर रेलवे) में मुख्य पासल लिपिकों के पद के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी

4718. श्री प० ला० बारपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फ़ीरोजपुर मंडल में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको 1967 से 1970 तक की अवधि में तदर्थ आधार पर अथवा चयन द्वारा 250—380 रुपये (ए० ए०) के ग्रेड में मुख्य पासल लिपिकों के पदों पर पदोन्नत किया गया तथा उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के हैं ;

(ख) वर्ष 1969 में उक्त मंडल द्वारा

उस लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य पासल लिपिकों के ग्रेड के लिये किये गये चयन को रद्द करने के क्या आचार हैं जिसमें अनुसूचित जातियों के चार कर्मचारी भी थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि 1970 में किये गये चयन के आधार पर जिन आठ कर्मचारियों को ये पद दिये गये थे उनमें से कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का नहीं है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सुपरवाइजर स्पेशल टिकट एकजामिनर के पद पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

4719. श्री प० ला० बारपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में सुपरवाइजर स्पेशल टिकट एकजामिनर के 250—380 रुपये के ग्रेड के पदों पर वर्ष 1967 से 1970 तक के दौरान कितने कर्मचारियों की पदोन्नति तदर्थ आधार पर अथवा चयन के आधार पर की गई तथा उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ; और

(ख) दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के रेलवे बोर्ड परिपत्र संख्या ई (एस० सी० दी०) 68 सी० एम० 1/13 के पैरा दो (तदर्थ पदोन्नति के लिये) को किस प्रकार लागू किया गया तथा क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की इस परिपत्र के बहाने उपेक्षा नहीं की जा रही है ?